DATE: 04/08/2020 | Page: 1 to 2

By,
OM KUMAR SINGH
ASSISTANT PROFESSOR
DEPTT. OF POL. SC.
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR
LNMU, DARBHANGA

CLASS: B.A. (H) PART-2ND
SUBJECT: POLITICAL SCIENCE
PAPER: III (INDIAN GOVERNMENT & POLITICS)
CH: 06 (THE UNION EXECUTIVE: PRESIDENT)
LECTURE NO. 28 (TWENTY EIGHT)

भारत का राष्ट्रपति
President of India

भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। यह राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष एवं राष्ट्र की एकता, अखण्डता और सुदृढ़ता का परिचायक होता है।

भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है और मंत्रिपरिषद कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 53 के तहत भारत का राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका सम्बंधी सभी शक्तियों का प्रयोग स्वयं अथवा पदाधिकारियों द्वारा करेगा।

राष्ट्रपति पद की योग्यताएँ या अर्हताएँ –

राष्ट्रपति के लिए अर्हताओं का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 58 में किया गया है, इस प्रकार हैं —

(i) व्यक्ति भारत का नागरिक हो।
(ii) 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
(iii) लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो।

Scanned with CamScanner

classmate
Date
Page

(iv) संघ सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण में या किसी सार्वजनिक प्राधिकरणो में लाभ के पद पर न हो।

वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल और संघ अथवा राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माना जाता है अर्थात इन्हें राष्ट्रपति पद हेतु योग्य उम्मीदवार माने जाते हैं।

अनु० 59 के अनुसार वह व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य अथवा राज्य विधान सभा का सदस्य है, राष्ट्रपति निर्वाचित होनेपर उसे सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ती है।

राष्ट्रपति का निर्वाचन (अनु०54) :-

भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है। जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन में भाग नहीं लेती है अर्थात जनता द्वारा निर्वाचन सम्बंधी कार्य अप्रत्यक्ष रूप से उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है।

राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल :-

शामिल होने वाले सदस्य	शामिल नहीं होने वाले सदस्य
(1) संसदों- लोकसभा व राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य।	(1) संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य।
(2) राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य	(2) राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य।
(3) केन्द्रशासित प्रदेश जहाँ विधानसभा है, उस विधान-सभा के निर्वाचित सदस्य	(3) राज्य विधानपरिषदों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य।
	(4) केन्द्रशासित प्रदेश के विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य।
	(5) किसी सभा के विघटन की स्थिति में उस सभा के सदस्य।

Scanned with CamScanner